न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0— 54सन् 2018

मुनेश्वर ठाकुर..........................वादी।

बनाम

गजेन्द्र सिंह वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 18.08.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 22.10.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इंतनाई दाखिल कर न्यायालय से तकरारी जमीन पर ता फैसला मोकदमा इतनाई आदेश पारित करने का निवेदन किया है प्रतिवादीगण तकरारी एराजी में कंस्ट्रक्सन करने वो तकरारी जमीन का हैत बदलने के आशय से निर्माण सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। उपरोक्त परिस्थिति में तकरारी जमीन का वस्तुस्थिति न्यायालय के समक्ष आना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि तकरारी भूमि का स्थल जांच हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति किया जाए ताकि हकरसी होवे।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 02.11.2021 को दाखिल कर कथन है कि जिस तरीका वो बयान से वाद ने इस वाद की तकरारी एराजी के स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कराना चाहते हैं वह स्वीकार होने योग्य नहीं है, क्योंकि वाद का तकरारी एराजी पर न तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है न ही सुविधा का संतुनल। वादी को कोई हक वो सरोकार तकरारी एराजी का जांच कराना नहीं है। वादी साक्ष्य एकत्रित करने के ख्याल से अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कराना चाहते हैं। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 22.10.2021 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है

कि प्रस्तुत वाद में वादी तकरारी एराजी का स्थल निरीक्षण करने हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादीगण तकरारी एराजी में कंस्ट्रक्सन करने वो तकरारी जमीन का हैत बदलने के आशय से निर्माण सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 22.10.2021 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/—रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री उमेश प्रसाद सिंह को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर, सारण।